गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.07.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.07.2019 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
3.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
4.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
6.	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
7.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
8.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
9.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
10.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
11.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
12.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

01 प्रो0 व्ही.डी. रंगारी

02 प्रो0 जी.के. पात्रा

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.06.2019 एवं स्थगित बैठक 26.06.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.06.2019 एवं स्थगित बैठक दिनांक 26.06.2019 के कार्यवृत्त की निम्नानुसार संशोधन के साथ सम्पुष्टि की गयी :-

01. कार्यवृत्त में प्रो0 ए.के. सक्सेना के नाम के समक्ष सचिव के स्थान पर सदस्य पढ़ा जाय।

02. विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 31.05.2019 के कार्यवृत्त में "अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण" के अंतर्गत विषय क्रमांक-01 में टंकण त्रुटिवश AICTE Regulation 2018 टंकित हो गया है जिसे सुधारकर AICTE Regualtion 2019 पढ़ा जाय।

विषय क्र. 02 एम.बी.ए. पाठ्यक्रम विषय हेतु प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि पैरा क्रमांक-9बी में अंकित प्रस्तावित अंक योजना को सुधार करके विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों में प्रचलित अंक योजना के समरूप कर लिया जाय।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार संशोधन के साथ प्रस्तावित अध्यादेश के शेष प्रावधानों का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावित अध्यादेश को नवीन क्रमांक–72 प्रदान करते हुए अनुमोदित किया जाय।

विषय क्र. 03 **हास्टल के नियम एवं सत्र 2019–20 में प्रवेश/पुर्नप्रवेश के लिए आवेदन पत्रों के प्रारूप के अनुमोदन एवं मुद्रण हेतु।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि छात्रावास के अधीक्षकों द्वारा छात्रावास हेतु प्रस्तावित निर्देशों, सामान्य नियम, प्रावधान एवं फार्मेटों का अनुमोदन किया जाय।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि छात्रावास में रहने वाले छात्रावासी छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य कोई आयोजन करने के पूर्व सक्षम अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे। बिना सक्षम अनुमति के किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि विशेष आयोजनों के दौरान विशेष भोज (FEAST) के लिए दरों का निर्धारण छात्रावास के मुख्य अधीक्षक/ प्रशासनिक अधीक्षक/अधीक्षकों द्वारा मेस सेवाप्रदाता फर्म से चर्चा करके प्रस्तुत किया जायेगा।

विषय क्र. 04 **भौतिकी विभाग द्वारा उनके विभाग में शोध छात्रों के आबंटन एवं मेंटर आबंटन संबंधी प्रस्ताव पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित प्रावधानों को अमान्य किया जाये एवं मेंटर आबंटन संबंधी कार्यवाही पर यथोचित निर्णय भौतिकी विभाग के विभागीय शोध समिति द्वारा पीएच.डी. रेगुलेशन 2019 के प्रकाश में लिया जाय।

विषय क्र. 05 **सी.एस.आई.टी. विभाग के दो छात्रों के द्वारा अध्ययन के दौरान नौकरी पर चले जाने एवं तथ्य छिपाये जाने संबंधी विषय पर पुनर्विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि उक्त दोनों छात्रों को शासकीय सेवा में रहते हुए विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाय।

विषय क्र. 06 **पी.एम.एस.एस.एस. योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में आवेदकों को प्रवेश दिये जाने पर विचार।**

इस संदर्भ में श्री आनंद शर्मा, उप–निदेशक (पीएमएसएसएस), एआईसीटीई, नई दिल्ली के द्वारा प्रेषित ई–मेल दिनांक 03.07.2019 एवं दूरभाष पर हुई चर्चानुसार स्थायी समिति द्वारा यह सूचना ग्रहण की गई की, सत्र 2019–20 में पीएमएसएसएस योजना के तहत Suppernummerary quota के अंतर्गत जम्मू एण्ड कश्मीर के विद्यार्थियों का आबंटन गुरू

घासीदास विश्वविद्यालय एवं कुछ अन्य प्रीमियर संस्थानों में किये जाने हेतु चिन्हांकित किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के सचिव के द्वारा प्रेषित किया गया है।

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को प्रीमियर इंस्टीट्यूट मानते हुए प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू एण्ड कश्मीर के विद्यार्थियों को प्रवेश लेने की अनुशंसा की है, जो विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि पी.एम.एस.एस.एस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय में जम्मू एण्ड कश्मीर से आने वाले आवेदकों को अर्हता पूर्ण करने पर वांछित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सभी अधिष्ठातागण उनके नियंत्रणाधीन आने वाले विभागों के विभागाध्यक्षों से चर्चा कर पी.एम.एस.एस.एस योजना की जानकारी प्रदान करते हुए ऐसे आवेदकों को प्रवेश प्रदान करने हेतु आवश्यक निर्देश देंगे तथा जम्मू एण्ड कश्मीर से आने वाले आवेदकों की ओर विशेष ध्यान देंगे।

विषय क्र. 07 विभिन्न विभागों से प्राप्त अध्ययन मण्डल की अनुशंसित पाठ्यक्रमों के अनुमोदन की पुष्टि पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि निम्नानुसार अध्ययनमण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया जाय :–

1.	इले. एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग	बैठक दिनांक – 30.04.2019
2.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	बैठक दिनांक – 30.04.2019
3.	संगणक विज्ञान	बैठक दिनांक – 07.05.2019
4.	मेकेनिकल इंजीनियरिंग	बैठक दिनांक – 20.04.2019
5.	केमिकल इंजीनियरिंग	बैठक दिनांक – 20.04.2019
6.	सिविल इंजीनियरिंग	बैठक दिनांक – 29.04.2019
7.	हिन्दी विभाग	बैठक दिनांक – 22.04.2019
8.	वनस्पति विज्ञान विभाग	बैठक दिनांक – 27.04.2019
9.	प्रबंध अध्ययन विभाग	बैठक दिनांक – 29.04.2019
10.	पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग	बैठक दिनांक – 16.04.2019
11.	शिक्षा विभाग	बैठक दिनांक – 29.04.2019

विषय क्र. 08 सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रमों के विभिन्न सेमेस्टर हेतु ग्रेड कार्ड का प्रारूप विचारार्थ प्रस्तुत।

स्थायी समिति ने गोपनीय शाखा के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तावित प्रारूप में कतिपय संशोधन सुझाये एवं सुझावों को शामिल करते हुए नवीन प्रारूप को आगामी बैठक में प्रस्तुत कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

विषय क्र. 09 **ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक विकास विभाग में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय परिसर में काली मंदिर के पास स्थित तालाब में मत्स्य पालन हेतु अनुमति प्रदान करने विषयक।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि समिति के सदस्य प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है तथापि ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष उक्त कार्य हेतु विनियम का प्रारूप प्रस्तुत करेंगे।

विषय क्र. 10 **परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिये विनियम प्रारूप पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि इस विषय को स्थगित रखा जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विनियम का प्रारूप पूर्व में सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया गया है, फिर से सभी सदस्यों को उक्त विनियम का प्रारूप उपलब्ध कराया जाय ताकि आगामी बैठक में सदस्यगण अपने विचार प्रस्तुत कर सकें।

विषय क्र. 11 **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों हेतु Allied Subjects के निर्धारण हेतु गठित समिति के कार्यवृत्त के अनुमोदन के संबंध में।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि Allied Subjects के निर्धारणा हेतु गठित समिति के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 12 **B.Ed. B.Ed. (HI & LD and M.Ed. के प्रवेश संबंधी सीट निर्धारण विषयक।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शिक्षा विभाग प्रसारित सीट संख्या के आधार पर ई.डब्ल्यू.एस. सीटों के साथ प्रवेश प्रदान करे।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष बढ़ी हुई सीटों की जानकारी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 12–4/2019–यू1 दिनांक 17.01.2019 के आधार पर बढ़ी हुई सीटों में आवेदकों को प्रवेश दे दिये जाने संबंधी जानकारी एन.सी.टी.ई. तथा आर.सी.आई. को भिजवाने की आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।

विषय क्र. 13 **विश्वविद्यालय में मेंटर व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा मेंटर व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित दिशा–निर्देश का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष उक्त दिशा–निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार

अ.अ.वि.क्र. 01 श्रीमती रीमा दत्ता के अंशकालिक शोधार्थी बनाये जाने संबंधी आवेदन को अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

अ.अ.वि.क्र. 02 विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के प्रवेश, पूर्व छात्रों के पुनः प्रवेश एवं नये छात्रों के छात्रावासों में प्रवेश दिये जाने के सबंध में दिनांक 02.07.2019 को मुख्य छात्रावास अधीक्षक के कक्ष में अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य छात्रावास अधीक्षक, सभी प्रशासनिक अधीक्षक एवं अधीक्षकगण उपस्थित रहे। उक्त बैठक में आगामी वर्षों के लिए पूर्व छात्रों के पुनः प्रवेश एवं विश्वविद्यालय में प्रवेशित नये छात्रों के छात्रावासों में प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय के सीमित स्थान उपलब्ध होने के कारण तथा विश्विद्यालय में नव प्रवेशित छात्रों की कठिनाईयों एवं समस्याओं को देखते हुए सर्वसम्मति से निम्नानुसार नीति निर्धारण किये जाने की अनुशंसा की गई है :-

01. **बालिका छात्रावास–** पूर्व प्रवेशित छात्राओं में अर्हता प्राप्त छात्राओं को नये सत्र में पुर्न–प्रवेश दिया जाये और शेष रिक्त स्थानों पर नव–प्रवेशित छात्राओं को विभागवार एवं श्रेणीवार मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाय।

02. **नवीन बालक छावास–ए** में सभी 200 सीट पर आई.टी. में नव–प्रवेशित छात्रों को कक्षावार एवं श्रेणीवार मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाय।

03. **नवीन बालक छात्रावास–बी** में सभी 200 सीटा में से 40 स्थान वानिकी (फारेस्ट्री) छात्रों के लिए आरक्षित रखी जाय एवं शेष 160 स्थानों के लिए यू.टी.डी. के पाठ्यक्रम में नव–प्रवेशित छात्रों को कक्षावार एवं श्रेणीवार मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाय।

04. **स्वामी विवेकानन्द बालक छात्रावास–** में अर्हता प्राप्त छात्रों को नये सत्र में पुर्न–प्रवेश दिया जाय एवं शेष रिक्त स्थानो पर नवन बालक छात्रावास–ए स नवीन तालाब छात्रावास–ए एवं नवीन बालक छात्रावास–बी में सत्र 2018–19 में प्रवेशशित छत्रों को अर्हता एवं मेरिट के आधार पर पुनः–प्रवेश दिया जाय।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रावासों में नये छात्रों के प्रवेश एवं पूर्व छात्रों के पुर्नप्रवेश हेतु मुख्य छात्रावास अधीक्षक, सभी प्रशासनिक अधीक्षकों एवं अधीक्षकों की दिनांक 02.07.2019 को आयोजित बैठक में किये गये अनुशंसा को मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

अ.अ.वि.क्र. 03 VET के माध्यम से प्रवेश हेतु बुलाये गये आवेदकों में से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आवेदको के संबंध में यह देखा गया है कि ऐसे आवेदकों ने आवेदन पत्र जमा करते समय ई.डब्ल्यू.एस. विकल्प का चयन नहीं किया है, जबकि उनके पास आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग

के होने का प्रमाण पत्र है। अतः स्थायी समिति यह निर्णय लेती है कि सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उनके विभाग में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित सीटों के रिक्त रह जाने पर उन सीटों के लिए दिनांक 12.07.2019 को पुनः काउंसिलिंग आयोजित करेंगे तथा ऐसे आवेदक जिनके पास आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के होने का प्रमाण पत्र होगा उन्हें उनके मैरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव | **कुलपति / अध्यक्ष**